HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14376/2026
CNR: RJHC020889012026 | URN: CRLMB / 26567U / 2026

Samin Khan S/o Shri Jaikmadin, Aged About 19 Years, R/o Hasmal Ka Bas, Tan Karoli, Police Station Sadar, District Alwar (Rajasthan) (At Present Confined In Central Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Faziya G. Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

28/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना **सदर जिला अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **381/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 238–बी, 316(2), 318(4), 319(2), 336(3), 340(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–सी व 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति पर कार्यालय आपत्ति अंकित होने से उसे दूर करने की प्रार्थना के साथ प्रार्थना–पत्र संख्या **01/2026** पेश किया गया है, जिस पर सुना गया।

प्रकरण के इस प्रक्रम पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

बहस जमानत प्रार्थना–पत्र सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। वह दिनांक

20.08.2026 से अभिरक्षा में है। आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने विभिन्न लोगों से लड़की बनकर चैट की एवं दूसरे मोबाइल में न्यूड लड़की का वीडियो दिखाकर स्क्रीनशॉट लिए तथा उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लोगों से साइबर ठगी की। उनका तर्क है कि प्रार्थी के खाते में किसी प्रकार की राशि आने की कोई साक्ष्य नहीं है, न ही उसके खाते का उपयोग साइबर ठगी के लिए किया गया है। साइबर पोर्टल 1930 पर कोई शिकायत भी उसके विरूद्ध दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाइल में पैसों के लेन–देन के स्क्रीन शॉट मिले हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराध धाराओं के आरोप हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 238–बी, 316(2), 318(4), 319(2), 336(3), 340(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–सी व 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का अपराध है। उसके खाते में किसी प्रकार की साइबर ठगी की राशि प्राप्त होना नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं बताया गया है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **समीन खान पुत्र जैकमदीन** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र **इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा,** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है

कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

25/AJAY KUMAR SINGHAL